

70


माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

सि.नं. - 3358 - 8B/216

प्रकरण क्रमांक

/2016 निगरानी

श्री. लालसिंह सिंह, सतेन्द्र सिंह, किलेदार  
द्वारा आज दि. 27.09.16 को  
प्रस्तुत

  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

86  
27/9/16


लालसिंह, भूपसिंह, सतेन्द्र सिंह, किलेदार  
सिंह पुत्रगण श्री राधाकृष्ण सिंह, मीरा  
बेबा महेश निवासी- ग्राम खेरियामृत्यु  
तहसील व जिला- ग्वालियर .....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड के प्रकरण क्रमांक  
04/2015-16/बी 121 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2015 से दुखित  
होकर प्रस्तुत।

  
L.S. Dhakar



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3358-पीबीआर/16

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
8-12-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री डी०के० शुक्ला, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-12-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील का प्रावधान है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
(मनोज गोयल)  
अध्यक्ष